यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परिवीक्षा अ धकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अ धकारी, चम्पावत के माह 12/2015 से 04/2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 02.06.2017 से 06.06.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, एवं श्री वी.पी. संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 14.12.2015 से 19.12.2015 तक श्री डी.एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2012 से 11/2015 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 12/2015 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिला कल्याण के लए संचा लत वधवा पेंशन योजनाओं, सामान्य जाति वर्ग गौरा देवी कन्याधन योजना आदि योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण कया जाता है।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आ धक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आ धक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	0.00	0.00	0.00	394.75	389.09	5.66
2015-16	Nil	Nil	0.08	0.06	0.02	426.79	426.79	0.00
2016-17	Nil	Nil	0.10	0.10	0.00	594.05	594.05	0.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

योजना का नाम	**2015-16**			**2016-17**		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	-	28.74	28.74	-	27.65	27.65

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

स चव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला परिवीक्षा अ धकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला परिवीक्षा अ धकारी, चम्पावत को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण जिला परिवीक्षा अ धकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत धनरा श उपलब्ध होने के बावजूद भी 517 लाभा र्थयों को लाभान्वित न कया जाना।

शासनादेश सख्याः 749/XVII-4/2016-01(135) 2013- टी. सी–1 (05/16) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से **गौरा देवी कन्या धन** योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन किया जाएगा। गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु निम्न पात्रता होनी चहिए':–

(I) शासनादेश के अनुसार योजना हेतु पात्र गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं 21206/–शहरी क्षेत्र में, से अधिक न हो।

(II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत छात्रा के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।

(III) योजना के अर्न्तगत चयनित प्रति छात्रा रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा ऐसे शासकीय बैक जो सी बी एस माध्यम से जुडे है में छात्रा के नाम से तीन से पाचॅ वर्ष के अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर बालिका को मूलधन प्रदान किया जाएगा।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के (VII) में स्पष्ट प्रावधान था क योजना के अंतर्गत समस्त पात्र लाभार्थी को वर्ष 2016-17 से धनरा श आनलाईन प्रे षत कया जायेगा। कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी चम्पावत के वर्ष 2016-17 के योजना से संबं धत अ भलेखों की जांच में पाया गया क सामान्य वर्ग के कुल 1047 पात्र लाभा र्थयों को लाभान्वित कये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके लए शासन द्वारा फरवरी 2017 में रू. 258.50 लाख अवमुक्त कये गये। जिसे इकाई द्वारा कोषागार से आहरित कर संचा लत बैंक खाते में रखा गया था। उक्त आवंटित धनरा श से 517 लाभा र्थयों को लाभान्वित कया जा सकता था, परन्तु सम्प्रेक्षा ति थ (05/17) तक लाभा र्थयों को वतरित नहीं कया गया था। जब क अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र कयाजाना चाहिए था। यहाँ तक भी उल्लेखनीय है क शासनादेश के प्रावधानुसार समस्त भुगतान प्र क्रया आनलाईन कया जाना था परन्तु इकाई द्वारा उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धनरा श का कोषागार से आहरण कर बैंक खाते में रखा गया तथा लाभा र्थयों को आफलाईन प्र क्रया के अनुसार भुगतान कये जाने की प्र क्रया गतिमान थी। इस प्रकार से वर्ष 2016-17 के कुल पात्र 1017 बा लकाओं को वर्तमान तक लाभान्वित नहीं कया

गया। जाँच में यह भी पाया गया क क वभाग द्वारा कसी भी छात्रा को साव ध जमा पर मा सक ब्याज का भुगतान नही प्रदान कया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया क लाभा थयों को भुगतान हेतु बैंक से साव ध जमा बनाकर वतरण की कार्यवाही गतिमान है। आनलाईन भुगतान न कये जाने के संबंध में अवगत कराया क बजट आवंटन मार्च माह के अंत में होने के कारण लाभा थयों को भुगतान आनलाईन नहीं कया जा सका तथा भ वष्य में आनलाईन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क धनरा श रू. 258.50 लाख का आवंटन दिनांक 14.02.2017 को कया गया था। अतः यह कहना क आवंटन मार्च माह के अन्त में कया गया है, सत्य नहीं है। अतः गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत धनरा श उपलब्ध होने के बावजूद भी 517 लाभ थयों को लाभान्वित न कये जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- वधवा पेंशन के शत प्रतिशत सत्यापन के अभाव में रू. 4.27 लाख की धनरा श अवरूद्ध रखना।

शासनादेश (06/2016) के अनुसार निरा श्रत वधवा भरण-पोषण अनुदान योजना के ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी.पी.एल. श्रेणी केअंतर्गत आता हो अथवा जिसकी मा सक आय रू. 4000/- निर्धारित हो। पेंशन कीदरें रू. 1000/- प्रतिमाह की दर से देय होगा। योजना के अनुसार निरा श्रत वधवाओं को अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र हेतु सहायक समाज कल्याण अ धकारी/सहसीलदार को देना होगा जिसमें पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर इत्यादि की जांच के उपरान्त वधवा पेंशन स्वीकृत की जाती है। लाभा र्थयों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ल खत आवेदन पत्रों पर वचार करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा कया जाता है। शहरी क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों पर सहायक समाज कल्याण अ धकारी/सहसीलदार द्वारा स्वीकृत कए जाते है। वधवा पेंशन की धनरा श लाभा र्थयों को माह के स्थान पर त्रैमा सक आधार पर वतरित की जायेगी। प्रथम, द् वतीय, तृतीय एवं चतुर्थ कश्त का भुगतान क्रमशः जून, सतम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त तक कया जाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड स चवालय के मुख्य स चव के अर्द्धशासकीय प्रपत्रांक संख्या 443 दिनांक 16 मार्च 2016 के अनुपालन में स्पष्ट प्रावधान था क जनपद में संबं धत जिला धकारी के पर्यवेक्षण में एवं ग्रामीण में मुख्य वकास अ धकारी के पर्यवेक्षण में लाभार्थी के सत्यापन में शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया जाये।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अ धकारी, चम्पावत के वर्ष 2016-17 के निरा श्रत वधवा भरण-पोषण अनुदान योजना के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क कार्यालय द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाली वधवा पेंशनरों का व धवत सत्यापन शत-प्रतिशत नहीं कया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय में 142 लाभा र्थयों के रू. 4.27 लाख व भन्न बैकों एवं मृत्यु हुए पेशनरों की ब्लाकों से धनरा श प्राप्ति हुई है एवं कार्यालय स्तर पर अवरूद्ध पडी है। सत्यापन के अभाव में यह पता ही नहीं चल पाता है क पेंशन के रूप में निर्गत की जा रही धनरा श वास्त वक रूप से पात्र जी वत वधवा या पात्र लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है या नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अ भलेख वद्यमान नहीं ता जो यह सुनिश्चित कर सके क त्रैमा सक भुगतान कए जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना ति थ सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। कार्यालय के पास लेखापरीक्षा अव ध तक इससे वदित है क योजना के अंतर्गत प्रदत्त की

गई धनरा श ऐसी वधवाओं को भी दी गयी थी जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी या आपात्र थे। यदि वभाग द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन कया जाता तो उक्त वसंगति से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क जनपद में शत प्रतिशत सत्यापन पूर्ण कया गया है एवं अवरूद्ध धनरा श के संबंध में इं गत करने पर प्रकरण की पुनः जांच कर अप्रयुक्त धनरा श को जमा कया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है। क्यों क शत प्रतिशत सत्यापन के संबंध में कोई भी साक्ष्य सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिसके फलस्वरूप 142 लाभा र्थयों की रू. 4.27 लाख की धनरा श इकाई स्तर पर अवरूद्ध पड़ी है।

अतः वधवा पेंशन के शत प्रतिशत सत्यापन के अभाव में रू. 4.27 लाख की धनरा श अवरूद्ध रखना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
146	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला परिवीक्षा अ धकारी, चम्पावत तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी.सी. जोशी	जिला समाज कल्याण अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला परिवीक्षा अ धकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
(सामाजिक क्षेत्र)